[2021] 4 एस सी आर 180

बूटा सिंह और अन्य

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 421/2021)

16 अप्रैल, 2021

[उदय उमेश ललित और के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्तिगण]

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985–धारा 42 & 43 – शासी प्रावधान, यदि 42 या धारा 43 – गैर–अनुपालन। 42 – पीडब्लू–4 (एस. आई.) द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना कि अभियुक्त अपीलार्थी एक वाहन में खसखस का पुआल बेच रहे थे–छापेमारी की गई

पीडब्लू–4 द्वारा साथी अधिकारियों के साथ–अभियुक्त–अपीलार्थी जीप में बैठे पाए गए–आपको नोटिस दिया गया / एस. 50–खोज से खसखस के भूसे की बरामदगी हुई–निचली अदालत ने अपीलार्थियों को यू/एस दोषी ठहराया। 15 एस के गैर–अनुपालन के आधार पर बरी होने की उनकी याचिका को अस्वीकार करना। 42 – मुकदमे की सुनवाई

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एस। 42 यह लागू नहीं था, और यह कि मामला एस द्वारा कवर किया गया था। 43 जब अपीलकर्ता सार्वजनिक स्थान पर जीप में सड़क पर बैठे थे, तब उनसे वसूली की गई थी–उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई, जिसने निचली अदालत के विचार की पुष्टि की–अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः साक्ष्य से पता चला कि वाहन सार्वजनिक वाहन नहीं था, बल्कि एक आरोपी का वाहन था

वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र में भी इसका संकेत नहीं दिया गया था

एक सार्वजनिक परिवहन वाहन–एस के लिए स्पष्टीकरण। 43 यह दर्शाता है कि एक निजी वाहन "सार्वजनिक स्थान" अभिव्यक्ति के भीतर नहीं आएगा जैसा कि एस में समझाया गया है। 43 — इस प्रकार, तत्काल मामला यू/नहीं आएगा एस. 43 लेकिन एस के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। 42 – हालांकि, तथ्यों पर, धारा 42 का बिल्कुल भी अनुपालन नहीं होने के कारण, अपीलार्थी बरी होने के हकदार थे।

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 – एस. 43–अभिव्यक्ति "सार्वजनिक स्थान" जैसा कि एस में समझाया गया है। 43 – महत्वाकांक्षा–आयोजितः एस को स्पष्टीकरण। 43 यह दर्शाता है कि एक निजी वाहन "सार्वजनिक स्थान" अभिव्यक्ति के भीतर नहीं आएगा–शब्द और वाक्यांश

अभिव्यक्ति "सार्वजनिक स्थान"।

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 – धारा 42–पर्याप्त या पर्याप्त अनुपालन की आवश्यकताएँ

कुल गैर–अनुपालन आयोजितः धारा 42 का गैर–अनुपालन है।

अस्वीकार्य–एस की कठोरता। 42 करनैल सिंह मामले में निपटी गई स्थितियों में कम हो सकता है लेकिन किसी भी मामले में, पूरी तरह से गैर–अनुपालन

एस. 42 स्वीकार किया जा सकता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 . वर्तमान मामले में साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वाहन एक सार्वजनिक वाहन नहीं था, बल्कि एक वाहन था जो एक अभियुक्त–अपीलार्थी का था। वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिसे रिकॉर्ड में रखा गया है, भी इसे सार्वजनिक परिवहन वाहन होने का संकेत नहीं देता है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 43 के स्पष्टीकरण से पता चलता है कि एक निजी वाहन धारा 43 में वर्णित "सार्वजनिक स्थान" अभिव्यक्ति के भीतर नहीं आएगा। प्रासंगिक प्रावधान धारा 43 नहीं होगी लेकिन मामला धारा 42 के तहत आएगा। [पैरा 12] [188–ई–जी]

1.2 . यह एक स्वीकृत स्थिति है कि गैधारा 42 की आवश्यकता का अनुपालन। धारा 42 क पूर्ण अनुपालनक अनुमति नहि छैक। करनैल सिंह में इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में निपटी गई स्थितियों में धारा 42 की कठोरता कम हो सकती है, लेकिन किसी भी मामले में धारा 42 का पूर्ण गैर–अनुपालन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, अभियुक्त–अपीलार्थी को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी कर दिया जाता है। [पारस 13,14 और 15] [188–जी–एच; 189–ए–बी]

11 एससीसी 687: [2016] 4 एस. सी. आर. 451 पर भरोसा किया।

सुखदेव सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (2013) 2 एस. सी. सी. 212

– संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 11 एससीआर 470	के बाद	पैरा 8
[2016] 4 एससीआर 451	उस पर भरोसा किया	पैरा 8

(2013) 2 एससीसी 212 संदर्भित किया गया है पैरा 8

[2021] 4 एस. सी. आर.

1. आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 421/ 2021

सी. आर. ए.–एस. 1759–एस. बी.–2004 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 03.03.2020 के निर्णय और आदेश से।

प्रवीण कुमार, रजनीश कुमार झा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

राकेश कुमार मुद्गल, ए. ए. जी. , कैलाश कुमार मुद्गल, डॉ. मोनिका गुसैन, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. यह अपील निर्णय और दिनांकित अंतिम आदेश को चुनौती देती है

03.03.2020 चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों द्वारा पसंद किए गए सी. आर. ए.–एस. 1759–एस. बी.–2004 को खारिज करते हुए और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में "एन. डी. पी. एस. अधिनियम") की धारा 15 के तहत उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए पारित किया गया।

2. उच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले में दर्ज किए गए बुनियादी तथ्य और अभियोजन का मामला इस प्रकार हैः

" 2. अभियोजन पक्ष द्वारा सामने रखे गए तथ्य इस आशय के हैं कि एस. आई. नंद लाल साथी पुलिस अधिकारियों के साथ सूरतिया–रोरी रोड पर नहर पुल पर मौजूद थे, जहाँ उन्हें इस आशय की गुप्त जानकारी मिली थी कि आरोपी उन्हें बेच रहे हैं।

पंजीकरण संख्या जी. यू. डी.–4997 वाले वाहन में खसखस का पुआल रोरी–जटाना मार्ग पर एक 'कच पथ' पर और यदि छापा मारा जाता है तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। तदनुसार, एक छापा मारा गया और

अभियुक्त उपरोक्त स्थान पर पंजीकरण संख्या जी. यू. डी.–4997 वाली जीप में बैठे पाए गए। अपीलार्थियों के सह–अभियुक्त मेजर सिंह भागने में सफल रहे, जबकि अपीलार्थियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। वे दो थैलों पर बैठे पाए गए। उक्त जीप में रखा गया। अधिनियम की धारा 50 के तहत उन्हें नोटिस दिए गए थे, लेकिन अपीलकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों पर भरोसा जताया। थैलों की तलाशी से खसखस बरामद हुआ

पुआल। एक थैले में 39 किलोग्राम खसखस का पुआल और दूसरे थैले में 36 किलोग्राम खसखस का पुआल था। प्रत्येक थैले से 100 ग्राम वजन के दो नमूनों को अलग किया गया। नमूना पार्सल और थोक पार्सल को अलग-अलग पार्सल में परिवर्तित किया गया और 'सी. एस.' छाप वाली मुहर के साथ सील कर दिया गया। जीप के वजन के साथ 500 ग्राम के दो वजन भी बरामद किए गए और बरामद किए गए बूटा सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य [उदय उमेश ललित, जे] के माध्यम से उसे कब्जे में ले लिया गया।

ज्ञापन। रुका दर्ज किया गया और उसके आधार पर पुलिस स्टेशन भेजा गया, प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद, मेजर

सह-अभियुक्त सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और जाँच पूरी होने पर,

अदालत में चालान पेश किया गया।

3. आरोप तय किया गया था। इसकी सामग्री को पढ़ा गया और अपीलार्थियों को समझाया गया, जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया

और मुकदमे का दावा किया।

4. अपने आरोपों के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों से पूछताछ की है। इंस्पेक्टर नंद लाल (पीडब्लू4) ने एएसआई जसवंत सिंह (पीडब्लू3) की उपस्थिति में आरोपी की तलाशी ली है। मामले की संपत्ति को मालखाने में कुलदिप सिंह ने बरकरार रखा था। (पी. डब्ल्यू. 2) और सिपाही गुरजीत सिंह (पी. डब्ल्यू. 1) नमूने के पार्सल एफ. एस. एल. ले गए। अभियोजन पक्ष के पास 10 में से 2 वृत्तचित्र भी हैं।

उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए संस्करण की पुष्टि करने के लिए साक्ष्य।

3. दिनांक 15.03.2002 के आदेश द्वारा, उसके द्वारा पसंद किए गए आवेदन पर,

विचाराधीन लेख विचारण न्यायालय द्वारा इसके पक्ष में जारी किया गया था

सेद गुरदीप सिंह।

4. मुकदमे के दौरान, पी. डब्ल्यू. 4 इंस्पेक्टर नंद लाल, जांच अधिकारी ने अपनी जाँच-इन-चीफ में कहाः

" 28.1.2002 पर मुझे पुलिस स्टेशन रोरी में सब इंस्पेक्टर/एस. एच. ओ. के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन मैं एएसआई जसवंत सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ गश्त के सिलसिले में सूरतिया रोरी रोड पर नहर पुल पर मौजूद था। मुझे एक गुप्त सूचना मिली कि सभी आरोपी नंबर वाले वाहन में खसखस का पुआल बेच रहे हैं। जी. यू. डी. 4997 रोरी-जटाना रोड पर 'कच रास्ता' पर और हो सकता है यदि छापा मारा जाता है तो उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। मैंने उन दो लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की जो जाँच में खेतों में पानी डालने जा रहे थे

वे उक्त जीप में पड़े दो थैलों पर बैठे पाए गए। इसके बाद, मैंने आरोपी गुरदीप को नोटिस Ex.PC, Ex.PD और Ex.PE दिए।

बूटा और गुरमहेंद्र सिंह क्रमशः एन. डी. पी. एस. की धारा 50 के तहत [2021] 4 एस. सी. आर. पूछ रहे हैं।

वे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी चाहते हैं या नहीं। जवाबों Exl.PC/1.1, Ex.PDA और Ex.PE/। के माध्यम से, आरोपी गुरदीप सिंह, बूटा सिंह और गुरमहेंद्र सिंह उर्फ मिट्ठा ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और पुलिस में विश्वास व्यक्त किया।

गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहाः

" मैंने गुप्त जानकारी को लिखित रूप में दर्ज नहीं किया। उस समय मेरी जीप में वायरलेस की व्यवस्था नहीं थी। मुझे रात के समय अभियुक्तों की जीप की तलाशी लेने के लिए कोई तलाशी वारंट नहीं मिला। मैंने अपनी पुलिस फाइल में आवश्यक तलाशी वारंट प्राप्त नहीं करने का कोई आधार दर्ज नहीं किया। लेखन कार्य था

जीप में बैठे हुए किया गया।

5. अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद, निचली अदालत ने अपने फैसले और दिनांक 1 के आदेश से आरोपी मेजर सिंह को बरी कर दिया।

लेकिन दोषी ठहराए गए आरोपी बूटा सिंह, गुरदीप सिंह और गुरमोहिंदर सिंह को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 15 के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें 10 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 के लागू होने के सवाल पर, निचली अदालत ने कहाः

' ..... विद्वान वकील ने N.D.P.S अधिनियम की धारा 42 का पालन न करने के कारण आरोपी को बरी करने की मांग की। हालाँकि, उपरोक्त तर्क अभियुक्त की मदद कर सकता है यदि अभियुक्त के घर, इमारत आदि से वसूली की गई थी। मान लीजिए, अभियुक्तों से उस समय वसूली की गई जब वे एक सार्वजनिक स्थान पर जीप में सड़क पर बैठे थे। इसलिए, अभियुक्त का मामला N.D.P.S अधिनियम की धारा 43 द्वारा कवर किया जाएगा न कि N.D.P.S अधिनियम की धारा 42 द्वारा। इन परिस्थितियों में, का तर्क अभियुक्त के विद्वान वकीलों को खारिज कर दिया जाता है। "

6. दोषी ठहराए गए अभियुक्त ने पीड़ित होने के कारण उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त आपराधिक अपील दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

यह पूछे जाने पर कि क्या मामला एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के दायरे में आता है, उच्च न्यायालय ने कहाः

14. इसके अलावा, हाथ में मामले में, आरोपी एक सार्वजनिक मार्ग पर एक जीप में मौजूद थे और ऐसी परिस्थितियों में, अधिनियम की धारा 42 के बजाय धारा 43 के प्रावधान लागू होते हैं। के

अनुसार अधिनियम
की धारा 43 के स्पष्टीकरण में, सार्वजनिक स्थान में एक बूटा सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य [उदय उमेश ललित, जे.] शामिल है।

सार्वजनिक स्थान पर या पारगमन में किया गया। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 42 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है।
7. इस अपील में बूटा सिंह, गुरदीप सिंह और

गुरमोहिंदर सिंह ने निर्णयों की शुद्धता को चुनौती दीनीचे की अदालतों में, हमने श्री प्रवीण कुमार को सुना, जो इसके लिए विद्वान वकील थे

अपीलार्थी और श्री राकेश मुद्गल ने राज्य के लिए ए. ए. जी. सीखा।

8. श्री प्रवीण कुमार ने अन्य बातों के साथ प्रस्तुत कियाः विचाराधीन वाहन एक निजी वाहन था जिसका आरोपी गुरदीप सिंह और सार्वजनिक वाहन नहीं था, हालांकि एक सार्वजनिक सड़क पर पार्क किया गया था। जैसा कि पीडब्लू 4 इंस्पेक्टर नंद लाल ने स्वीकार किया, रहस्य

आदेश देते हैं।

तत्काल मामला धारा 43 के तहत नहीं आएगा लेकिन

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

धारा 42 का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है,

अपीलार्थी करनैल सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले में निर्धारित कानून के संदर्भ में बरी होने के हकदार थे। हरियाणा राज्य के बाद के निर्णयों में सुखदेव सिंह

9. प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए श्री राकेश मुद्गल, विद्वान ए. ए. जी.

प्रस्तुत किया कि नीचे की अदालतें यह देखने में सही थीं कि तत्कालमामला एन. डी. पी. एस. की धारा 43 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

एक्ट करें। हालाँकि विद्वान वकील द्वारा यह स्वीकार किया गया कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं थी कि विचाराधीन वाहन सार्वजनिक था।परिवहन।

10. करनैल सिंह में, इस न्यायालय की संविधान पीठ

निष्कर्ष निकालाः " 35. अंत में, ध्यान देने वाली बात यह है कि अब्दुल राशिद [(2000) 2 एससीसी 513: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 496] की आवश्यकता नहीं थी

1 1 (2009) 8 एस. सी. सी. 5392 (2013) 2 एससीसी 212

3 3 (2016) 11 एससीसी 687 [2021] 4 एस. सी. आर.

धारा 42 (1) और 42 (2) की आवश्यकताओं का शाब्दिक अनुपालन न ही साजन अब्राहम [(2001) 6 एस. सी. सी. 692: 2001 एससीसी

(सी. आर. आई.) 1217] का मानना है कि धारा 42 (1) और 42 (2) की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों फैसलों का प्रभाव इस प्रकार रहा निम्नलिखित है:

(क) प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने पर अधिकारी धारा 42 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति से

धारा 42 (1) के खंड (ए) से (डी) के संदर्भ में कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, इसे संबंधित रजिस्टर में लिखित रूप में दर्ज करना था और तुरंत अपने तत्काल अधिकारी वरिष्ठ को एक प्रति भेजना था। (ख) लेकिन अगर सूचना तब प्राप्त हुई थी जब अधिकारी पुलिस स्टेशन में नहीं था, लेकिन जब वह गश्ती ड्यूटी पर या अन्यथा चल रहा था, या तो मोबाइल फोन या अन्य माध्यमों से, और सूचना तत्काल कार्रवाई की मांग करती है और किसी भी देरी के परिणामस्वरूप माल या सबूत के रूप में जाना जाता है।

हटा दिया गया या नष्ट कर दिया गया, तो उसे दी गई जानकारी को लिखित रूप में लेना संभव या व्यावहारिक नहीं होगा, ऐसी स्थिति में वह धारा 42 (1) के खंड (ए) से (डी) के अनुसार कार्रवाई कर सकता है और उसके बाद, जैसे ही यह व्यावहारिक हो, विवरण दर्ज कर सकता है।

लिखित रूप में और तुरंत उसी को सूचित करें

(ग) दूसरे शब्दों में, प्राप्त जानकारी को लिखने और उसकी एक प्रति वरिष्ठ अधिकारी को भेजने के संबंध में धारा 42 (1) और 42 (2) की आवश्यकताओं का अनुपालन, आम तौर पर अधिकारी द्वारा प्रवेश, तलाशी और जब्ती से पहले होना चाहिए। लेकिन आकस्मिक से जुड़ी विशेष परिस्थितियों में स्थितियों में, लिखित रूप में सूचना की रिकॉर्डिंग और आधिकारिक वरिष्ठ को इसकी एक प्रति भेजना एक उचित अवधि, यानी तलाशी, प्रवेश और जब्ती के बाद, के लिए स्थगित किया जा सकता है।

सवाल तात्कालिकता और समीचीनता का है।

धारा 42 की धारा (1) और (2) अनुज्ञेय, विलंबित है। देरी के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण के साथ अनुपालन

धारा 42 का स्वीकार्य अनुपालन। उदाहरण के लिए, यदि कोई हो तो

देरी के परिणामस्वरूप आरोपी भाग सकता है या माल या

सबूतों को नष्ट किया जा रहा है या हटाया जा रहा है, कार्रवाई शुरू करने से पहले प्राप्त जानकारी को लिखित रूप में दर्ज नहीं किया जा रहा है, या बूटा सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य को न भेजा जा रहा है।

धारा 42 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। लेकिन अगर सूचना तब मिली जब पुलिस अधिकारी अंदर था

कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय के साथ पुलिस स्टेशन, और यदि पुलिस अधिकारी प्राप्त जानकारी को लिखित रूप में दर्ज करने में विफल रहता है,

या आधिकारिक वरिष्ठ को इसकी एक प्रति भेजने में विफल रहता है, तो यह

एक संदिग्ध परिस्थिति का स्पष्ट उल्लंघन होगा

अधिनियम की धारा 42। इसी तरह, जहाँ पुलिस अधिकारी करता है

जानकारी को बिल्कुल भी दर्ज नहीं करता है, और अधिकारी को सूचित नहीं करता है

बिल्कुल भी श्रेष्ठ, तब भी यह धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन होगा।

अधिनियम से। क्या पर्याप्त या पर्याप्त अनुपालन है

धारा 42 के साथ या नहीं, तथ्य का प्रश्न है जिसमें निर्णय लिया जाना है

हर मामले में। उपरोक्त स्थिति के साथ मजबूत हो गया

2001 के अधिनियम 9 द्वारा धारा 42 में संशोधन।

(जोर दिया गया)

11. जगराज सिंह उर्फ हंसा 3 में तथ्य कमोबेश थे।

आइकल। उस मामले में, वाहन (जैसा कि निर्णय के पैरा 5.3 में देखा गया है)

सार्वजनिक परिवहन वाहन नहीं। प्रासंगिक पर विचार करने के बाद

निर्णय और निर्णय सहित इस न्यायालय के कुछ निर्णय

रनैल सिंह 1, यह देखा गयाः

" 14. धारा 42 (2) की आवश्यकता यह है कि जहां एक अधिकारी ले जाता है

उप–धारा (1) के तहत लिखित में एक जानकारी वह भेजेगा। उसकी एक प्रति उसके तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को। संचार.

एक्स. पी–15 जो सर्कल अधिकारी, नोहर को भेजा गया था

एक्सट में दर्ज जानकारी के अनुसार। पी–14 और एक्सट। पी–21। इस प्रकार, नहीं

निष्कर्ष पर पहुँचने में उच्च न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई थी

कि धारा 42 (2) का उल्लंघन हुआ था।

16. इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि विशेष न्यायाधीश के समक्ष भी बचाव पक्ष की ओर से धारा 42 (1) और 42 (2) के उल्लंघन का प्रतिवाद किया गया था। निर्णय के पैरा 12 में विशेष न्यायाधीश ने बचाव पक्ष की उपरोक्त दलीलों को नोट किया। हालाँकि, धारा 42 (2) के गैर–अनुपालन पर आधारित तर्कों को खंड में उस विसंगति को देखते हुए दरकिनार कर दिया गया। पी–14 और एक्सट। पी–15 पूरी तरह से लिपिकीय गलती के कारण है और धारा 42 (2) का अनुपालन किया गया था। विशेष न्यायाधीश आ रहे हैं

धारा 42 (1) के प्रावधान के अनुपालन ने अभिनिर्धारित किया कि वाहन [2021] 4 एस. सी.आर. तलाशी का उपयोग यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा रहा था जैसा कि इसके मालिक वीरा राम ने स्पष्ट रूप से कहा है, इसलिए, अधिनियम की धारा 43 का स्पष्टीकरण, वाहन एक सार्वजनिक परिवहन वाहन था और इसके लिए किसी वारंट या वारंट की आवश्यकता नहीं थी।

29. पहले के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, संविधान पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि गैर–अनुपालन

एक ऐसा मामला जहां धारा 42 (1) परंतुक के अनुपालन के रूप में यहां तक कि पर्याप्त अनुपालन पर आधारित एक तर्क भी वहाँ उठाया जाता है।

धारा 42 (1) परंतुक का पूर्ण गैर–अनुपालन है। जैसा कि देखा गया है।

ऊपर, धारा 43 आकर्षित नहीं होने के कारण, तलाशी ली जानी थी धारा 42 के प्रावधानों का पालन करने के बाद। हम इस प्रकार निष्कर्ष निकालते हैं उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि

धारा 42 (1) और धारा 42 (2) अभिलेख पर साबित हुए और

उच्च न्यायालय ने दरकिनार करने में कोई त्रुटि नहीं की है

दोषसिद्धि आदेश "।

(जोर दिया गया)

12. वर्तमान मामले में साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वाहन

यह सार्वजनिक वाहन नहीं था, बल्कि आरोपी गुरदीप सिंह का वाहन था। वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिसे रिकॉर्ड में रखा गया है, भी इसे सार्वजनिक परिवहन वाहन होने का संकेत नहीं देता है। धारा 43 के स्पष्टीकरण से पता चलता है कि एक निजी वाहन "सार्वजनिक स्थान" अभिव्यक्ति के भीतर नहीं आएगा जैसा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 में समझाया गया है। जगराज सिंह उर्फ हंसा 3 में इस अदालत के फैसले के बल पर, प्रासंगिक प्रावधान एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 43 नहीं होगी, लेकिन मामला एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 के तहत आएगा।

13. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि पूरी तरह से गैर–अनुपालन था।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 की आवश्यकताओं की।

14. करनैल सिंह 1 में इस न्यायालय का निर्णय

जगराज सिंह उर्फ हंसा 3 बिल्कुल स्पष्ट है।

धारा 42 अनुज्ञेय नहीं है। करनैल सिंह 1 में इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में निपटी गई स्थितियों में धारा 42 की कठोरता कम हो सकती है, लेकिन किसी भी मामले में धारा 42 का पूर्ण गैर–अनुपालन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 15. इन परिस्थितियों में, निचली अदालतें अपीलार्थियों की ओर से पेश की गई दलीलों को खारिज करने में गलती करती हैं। इसलिए हम,

इस अपील को अनुमति दें, उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को दरकिनार कर दें और अपीलार्थियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी कर दें। अपीलार्थियों को तुरंत रिहा कर दिया जाए जब तक कि किसी अन्य अपराध के संबंध में उनकी हिरासत की आवश्यकता न हो।

अपील की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस